

23-01-26

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। उन्हे
द्वारा दावे को Not press किया गया। वे दावे
को और आगे चलाना नहीं चाहते हैं।

अतः दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 89, 88
आरटीए इली स्तर पर Not press में खारिज किया
जाता है।

पत्रावली के सल शुमार होकर नंबर से कम हो
बाद तकमील आप्त का खिल दफतर हो।

~~No Press
copy~~

उपखण्ड अधिकारी
भुसावूर (भरतपुर) राज

23-01-26

[Faint, illegible text in the lower section of the page]